नियम 13 : छूट देने की शक्ति

अपील अधिकरण, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर, पक्षकारों को इन नियमों की किसी अपेक्षा के अनुपालन से छूट दे सकेगा तथा व्यवहार और प्रक्रिया के मामलों में ऐसे निदेश दे सकेगा, जिन्हें वह इस निमित्त प्रस्तुत आवेदन पर पर्याप्त न्याय प्रदान करने के लिए उचित और समीचीन समझे।